ालिए प्रस्तुत वाद के जरिये इनको कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त विवेचन से दीगण का वादपत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की प्रदान की जाती है कि ग्राम टोडी के र्तमान खसरा नम्बर 1050/835 रकबा 0.60 है0 में भोपाल रामधन पि0 लिछमण कुशालीदेवी पत्नि स्व. लेछमण हि0 3/5 दर हिस्सा 0.35 है0 में, एवं ग्राम टोडी के ही वर्तमान खसरा नम्बर 809 रकबा 3.55 है0 में भोपाल रामधन पि0 लिछमण कुशालदेवी पत्नि लिक्षमण हि. 3/5 दर हिस्सा 1/3 में स्व0 कुशालीदेवी पत्नि स्व0 लिछमण का नाम हजफ किया जाकर भोपाल रामधन पि0 लिछमण के साथ फूलचन्द पुत्र लिछमण को हिस्सा बराबर– बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाते में दर्ज ग्राम तोगड़ा के बजाय गोठड़ा दुरूस्त किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन चाहते है। अतः ग्राम टोडी के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1050/835 एवं 809 में खातेदारान के दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थित में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में एक माह में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 उक्त आदेश का हिस्सा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner